प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
www.facebook.com/shailshamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक – 24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 13 – 20 जून 2016 मूल्य पांच रूपए

ई डी में क्यों हुई वीरभद्र परिवार की सम्पतियां अटैच

शिमला/शैल। ई डी ने वीरभद्र एवं अन्य के खिलाफ 27-10-15 को मनीलॉडरिंग निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 23-03-16 को इसमे प्रोविजनल अटैचमैंट आदेश जारी करते हुए करीब आठ करोड की चल-अचल सम्पति अटैच कर दी गई है। जो संपतियां अटैच हुई हैं उनमे वीरभद्र की 27-03-10 को ली गई एक करोड़ की एल आई सी पॉलिसी, यूको बैंक विधान सभा खाते से 9,84,652, पी एन बी रामपूर में 4,36,000, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पार्लियामैंट हाऊस में 28,43,957 रूपये प्रतिभा सिंह द्वारा 28-05-10 को ली गई एक करोड की पॉलिसी और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सराहन में 2,43,000, स्टेट कोआपरेटिव बैंक शिमला में 14,34,563, की एफ डी आर, स्टेट स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में दी माल शिमला में 67,332, स्टेट कोआपरेटिव बैंक दी माल शिमला में 1,51,332, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सराहन में 2,98,490, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पार्लियामैंट हाऊस में 15,70,272 रूपये ,विकमादित्य की 31-12-10 को ली गई 41,29,908 रूपये की पॉलिसी, आई सी आई सी आई बैंक शिमला में 8,87,272 रूपये की एफ डी आर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पार्लियामैंट हाऊस में 3,97,636 रूपये, एच डी एफ सी दी माल शिमला में 8,71,931 रूपये और अपराजिता सिंह के आई सी आई सी आई बैंक दी माल शिमला के दो खातों में कमश: 5 लाख और 85,639 रूपये अटैच हुए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेटर कैलाश पार्ट -1 नई दिल्ली में 4,47,20,000 का मकान नम्बर W 122 भी अटैच किया गया है। यह मकान प्रतिभा सिंह के नाम पर है। एल आई सी की सारी पॉलिसियां संजौली ब्रांच से ली गई हैं। इस सारी संपति को प्रोसीडज ऑफ काईम माना गया है।

ई डी के अटैचमैन्ट आदेश मे साफ कहा गया है कि This has been a text book case of money laundering where MOU was fabricateed to show proceeds of crime as bonafide funds, then introduction into the banking channel, layering by moving through insurance compaines and different bank accunts and finally integrating into the system in form of purchase of property.

In veiw of the same it appears that proceeds of crime of Rs. 3,89,97,500/- deposited in PNB bank, 5,00,000/- in HDFC bank in the name of Shri Anand Chauhan and Rs. 50,00,000/- in PNB bank and of Rs.5,14,87,200/- in the name of Shri Virbhadra Singh, Smt. Pratibha Singh, Shri Vikaramaditya Singh and Ms. Aprajita Singh. According to Discussion in the Paras supra, there is reasonable belief that these proceeds of crime are prima facie involved in the offence of money laundering an thus liable for attachment by issuing Provisional Attachment order under the provisions of PMLA, 2002.

3. However, it has been seen that some of the LIC policies have been redeemed prematurely and only four policies are in force. Out of these four LIC policies, in case of one LIC policy in the name of Shri Vikramaditya singh S/o Shri Virbhadra singh No. 153234865 a premium of Rs. 4,87,200/- only has been paid from Laundered proceeds of crime whereas the payment of remaining four installments valued at Rs. 19,48,800/- has been made from sources still under investigation. The said policy is not being considered for attachment as of now. The two LIC policis in the name of Shri Vibhadra singh numbering 153597194 & Smt Prtibha singh numbering 153599300 and one policy of Shri Vikramaditya singh numberd 153924400 in vogue have been acquired from Proceeds of crime.

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ई डी ने बैंक खातों और एल आई सी पॉलिसियों का विस्तृत विवरण खंगालते हुए पाया कि On Scrutiny of bank accounts and cross verification with the amounts received on account of en cashed LIC policies it was revealed that smt. Pratibha singh encashed 2 LIC Policies bearing No. 153596149 and 153596173 on 10-05-2014 for an amount of Rs. 66,42,000/ each and

खुलासा

credited in her Bank A/c bearing No. 10023820637 maintained with State Bank of India Parliament House, New Delhi. on 12.05.2014. One LIC policy bearing No. 153234331 in her name was encashed on 27-05-2014 for amount of Rs. 1585639/- and credited in her Bank A/C bearing No. 10023820637 maintained with state Bank of India, Parliament House ,New Delhi.

5. LIC policy in the name of Sh. Virbhadra singh bearing No. 153379960 was encashed on 10-05-2014 for amount of Rs. 66,42,000/- and credited in this Bank A/C bearing No. 315586922870 maintained with State Bank of India, Parliament House New Delhi on 12-05-2014 .Sh. Virbhadra singh further transferred this amount of Rs. 66,00,000/- through NEFT in the account No. 10023820637 of state Bank of India, parliament House New Delhi of smt. Pratibha Singh.

6. Sh. Vikramaditya singh encahed 2 LIC policies in his name bearing No. 153596172 and 153596174 on 12-05-2014 for value of Rs. 66,42,000/- each .The encashe amount was credited in his account No. 31596514960 with State Bank of India, Parliament House New Delhi. He Further transferred amount of Rs.1,32,00,000/- vide Cheque No. 791252 into the account No. 10023820637 of state Bank of India Parliament House New Delhi of Smt. Pratibha singh on 12-05-2014. further an amount of Rs. 85,00,000/- was transferred by him to smt. Pratibha Singh on 19-05-14 wide cheque No. 791253.

ई डी को यह विवरण खंगालने की आवश्यकता इसलिए पडी क्योंकि वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह बार बार बुलाये जाने पर भी ई डी में पेश नहीं हुये हर सम्मन पर आधी-अधूरी सूचना ऐजैन्सी को देते रहे वीरभद्र सिंह के वकील ने भी 11.01.16 को पेश होकर पूरे वांच्छित दस्तावेज ई डी को नहीं सौंपे। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि In response to the summons dated 16-11-2015 Shri. Virbhadra Singh Submitted a latter dated 10-1-16 that he being Chief Minister of the state has certain constitutional obligations and his schedule till 15th february 2016 was prepared well in advance hence will not be appearing . His advocate appeared on 11.01.2016and provided photocopies of certain documents.Thereafter despite repeated adjournments for 05-01-16, 12-01-16, 28-01-16, 11-03-16, 17.03.2016 & 21/03/2016, The documents sought from him were not furnished . Thus he did not comply and kept on buying time by submitting piecemeal information. No specific reply was given to queries raised regarding source of investment in LIC policies/ immovable properties. Thus he did not make available the information asked from him on 16/11/2015 for four months. Therefore his statement could not be recorded. Moreover an adverse presumption can be attached in terms of Section 114 of Evidence Act.

8. Similarly Smt. Pratibha singh was summoned on 04.03.2016 to appear in person or through her authorized representative for 11/03/2016 , 17/03/2016, 21-03-16 but she kept on seeking time through her representative by providing piecemeal information and showing her preoccupation. No Statement could be recorded despite several opportunities afforded to them.

9.Despite non submission of requisite documents by Shri Virbhadra singh & Smt. Pratibha singh /their authorized representative as discussed in para Supra the statements and documents submitted by shri Chuni Lal Chauhan , Shri Anand Chauhan, Shri Megh Raj Sharma & shri Blshambar Dass reveal that the payments shown to have been received from agriculture produce have been invested in LIC policies. Therefore investigation was conducted to track the flow of funds to and from LIC policies

ई डी का अटैचमैन्ट आदेश अभी तक मुख्यत: एल आई सी पॉलिसियों के माध्यम से हुए निवेश और उनसे अर्जित संपतियों तक ही आधारित रहा है। लेकिन ऐजैन्सी ने साफ कहा है कि वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के माध्यम से आये निवेश और उससे बनाई संपतियों को लेकर जांच जारी है। इस जांच में और क्या कुछ सामने आता है इसका खुलासा तो आने वाला समय ही करेगा। लेकिन जांच ऐजैन्सी के सूत्रों के मुताबिक इसकी जांच का दायरा बहुत विस्तृत होने वाला है और निकटस्थ इस जांच के दायरे में आने वाले हैं और संभवत: इसी आशंका के कारण वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह अभी तक ई डी के सामने पेश होने से कतरा रहे हैं।

चुनाव से 18 महीने पहले केजरीवाल की AAP की HP यूनिट भंग,धूमल-वीरभद्र के चेहरे खिले

शिमला/शैल। आपसी फूट व नॉन परफार्मेंस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की पार्टी की इकाई को भंग कर दिया है। आम आदमी पार्टी के आलाकमान का ये प्रदेश में पार्टी पर कब्जा जमाए बड़े नेता राजन सुशांत व उनके बाकी चेलों को बड़ा झटका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आलाकमान

ने कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला इतनी देर बाद क्यों लिया।

प्रदेश में चुनाव के लिए एक साल तीन महीने बचे हैं ऐसे में पार्टी 2017 का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी इसमें संशय है। चूंकि चुनाव के बड़ी तैयारी कि जरूरत होती है व जमीन पर टीम व कार्यकर्ता होने चाहिए। जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में कार्यकारिणी को भंग करने का फैसला देरी से लिया गया। कमोबेश अक्तूबर-नवंबर 2017 में प्रदेश में आचार संहित लग जाएगी। इसलिए जमीन पर अब तक अधिकांश काम हो जाना चाहिए था।

ये फैसला भी तब लिया गया जब पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के सामने सुदरनगर में बूथ प्रभारियों की बैठक में पार्टी की बुरी स्थिति पर्दाफाश हुआ। तब संजय सिंह से पूछा भी था कि जिस तरह की परफार्मेंस यहां देखने को मिल रही है, क्या ऐसे में प्रदेश इकाई में बदलाव किया जाएगा। हालांकि संजय सिंह ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया था। सुंदरनगर के बाद शिमला में फिर पार्टी के नेता भिड़ गए। जबकि पार्टी को मजबूत करने का काम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

ऐसे में कोई न कोई फैसला तो लिया ही जाना था। सो पार्टी की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि पार्टी के संयोजक रहे राजन सुशांत क्या पार्टी में बने रहेंगे या वापस भाजपा में लौटजाएंगे।

जब से प्रदेश में पार्टी का गठन हुआ हैं तभी से इसकी स्थिति खराब रही है। लोगों को जोड़ने का काम ही नहीं हुआ। सभी पदाधिकारी खुद को सीएम समझ बैठे थे। युवा विंग हो या महिला विंग शुरू से ही डिफंक्ट रहे। फिर पीएसी भी बनाई गई। पीएएसी के सदस्यों के पास पार्टी चलाने को कोई मॉडयूल ही नहीं था। एक दूसरे पर हमला करते रहे। यहां तक कि आलाकमानको भी दूर रहने का आग्रह किया गया। आलाकमान ने पूरी कमान सुशांत क हाथ में दे दी लेकिन फिरभी कुछ नहीं हुआ। सुंदरनगर से पहले उना में पार्टी ने रैली कि जो बहुत बुरी तरह से फ्लाप रही। कायदे से कार्यकारिणी को उसी दिन भंग कर देना चाहिए था।लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन दोनों जगह पार्टी की स्थिति अपमानजनक थी।

अब आलाकमान के पास भाजपा व कांग्रेस के दर्जनों वो नेता जिनका इन पार्टियों में राजनीतिक वजूद समाप्त हो गया है, हाजरियां भर रहे हैं। अगर इनमें से किसी के पास भी पार्टी की कमान गई तो पार्टी का वही हाल होगा जो सुशांत की कमान में हुआ।

आम आदमी पार्टी की कार्यशैली से ये साफ हो गया है कि पार्टी को वो व्यक्ति कभी नहीं चला सकते जो भाजपा व कांग्रेस से पार्टी में आए हों। चूंकि इन दोनों पार्टियों की कार्यशैली अभिजात्यता का रंग लिए हुए है। इसलिए सुशांत यहां पार्टी को चलाने में सफल नहीं हुए।

पार्टी की प्रदेश इकाई के भंग होने से भ्रष्टाचार के जांचे झेल रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल के चेहरे खिल गए है। उनके कारनामों पर सवाल उठाने वाला अब फिलहाल कोई नहीं है। जो हैं भी वो उन्हीं के कुनबे के हैं। ऐसे में प्रदेश में तीसरे विकल्प का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है।

ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि पार्टी प्रदेश में कैसा चेहरा उतारती है। सारा जिम्मा अब संजय सिंह को सौंपा गया है। वो पंजाब के चुनाव में व्यस्त हैं।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER SHIMLA SUB DIVISION NO.VII,HPPWD SHIMLA-3
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Shimla Division No. III HPPWD Shimla -3 on behalf of the Governor of HP for following works from the eligible Contractors / Firms enlisted HP PWD so as to reach in his office on or before 14.07.2016 upto 10:30 A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in the presence of the intending Contractors/Firms or their authorized representatives. The tender form can be presence of the against cash payment (Non-refundable) on any working day up to 4:00 A.M. in the presence of the application for issue of tender form shall be received up to 4:00 P.M. on 12.07.2016.

The Earnest Money in the shape of National Saving certificate / time deposit account /saving account in any of the Post office in H P duly pledged in favour of Executive Engineer, Shimla . Division No -III must accompany with the application form for the tender offer. Conditional tender and the tender received earnest money will summarily be rejected. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason there to. Other conditions are application 6&8 . The shall remain open 90 days. of the tender shall be kept open for 120 days.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time	Form No	Cost of Form
1.	S/R to Staff Otrs at Barnes Court (Raj Bhawan accommodation Shimla (SH:- P/F wire gauge Shutter, Paneled Glazed Shutter, Cupboard, Tiles work painting and kitchen sink etc in type -II Block No. 1 Set No. 3 &5)	1,57,612/-	3,160/-	One Month	6&8	350/-
2.	S/R to Staff Otrs at Barnes Court (Raj Bhawan accommodation Shimla (SH:- P/F wire gauge Shutter in type -III Block No. 1 Set No. 1 to 4 Type -III Block No. 2 St No. 5 to 8, Type -II Block No. 5 to 8, Type -II Block No. 3 Set No. 9 to 12 etc)	1,37,410/-	2,750/-	One Month	6&8	350/-
3.	Restoration of rain damages to approach road to Majitha House Km,s 0/00 to 0/270 (SH:- C/O PCC Brest all at RD,s 0/075to 0/085.50)	1,35,582/-	2,750/-	One Month	6&8	350/-

TERMS & CONDITIONS:-
1. The contractor/ firm shall have his Sale Tax No. and attested copy of the same be Attached with the application for issue of tender form.
2. The contractor /firm should attach attested copy of registration /renewal.
3. Copy of PAN card be attached with the application form.
4. Copy of Tin Number be attached with the application.

Adv. No.-1106/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री द्वारा कबीर जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाए

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

आचार्य देवव्रत ने अपने शुभकामना संदेश में संत गुरु कबीर के आदर्शों, धार्मिक दर्शन, नैतिक सिद्धांतों तथा शिक्षाओं का अनुसरण करने का आहवान किया है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने संदेश में कहा कि संत कबीर ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा सभी को मानवता एवं प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस महान संत द्वारा दिखाए गए मानवता एवं सन्मार्ग के पथ का अनुसरण कर, प्रेम एवं भाईचारे का संदेश फैलाएं।

एसआईडीसी और जीआईसी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51-51 लाख रुपये का अंशदान

शिमला/शैल। उद्योग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रीमुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हि.प्र. राज्य उद्योग विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) और राज्य सामान्य उद्योग निगम (जीआईसी) की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51-51 लाख रुपये अंशदान के चेक भेंट किये। इस अवसर पर एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष अतुल शर्मा भी उपस्थित थे।

वीरभद्र सिंह ने एचपीएस आईडीसी और जीआईसी के इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए कहा कि एकत्रित धनराशि गरीब और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग में लाई जाएगी। उन्होंने निगमों के अन्तर्गत चल रही गतिविधियों की भी सराहना की। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत एचपीएसआईडीसी द्वारा प्रदेश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की भी प्रशंसा की। उद्योग विभाग के निदेशक एवं एचपीएसआईडीसी के प्रबन्ध निदेशक अमित कश्यप, जीआईसी के प्रबन्ध निदेशक एस. एस. गुलेरिया और निगमों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वन एवं मत्स्य मन्त्री चम्बा में 22 जून को पर्यावरण पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगें

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी 16 जून से 12 दिवसीय मण्डी, कांगड़ा, चम्बा तथा भरमौर के दौरे वन एवं मत्स्य मंत्री हि. प्र. ठाकुर सिंह भरमौरी दिनांक 16 जून से मण्डी, कांगड़ा, चम्बा तथा भरमौर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दिनांक 18 जून को चम्बा ज़िला के दुनाली में व 19 जून को पुलन में खोले गए नए राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं का उदघाटन करेंगे तथा स्थानीय लोगों की स्मस्याओं का निपटारा करेंगे।

वे अपने इस दौरे के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मिन्जर मेला और मणी महेश यात्रा/मेला की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 21 जून को ज़िला स्तरीय कल्याणकारी समीति की बैठक व ज़िला अनुसूचित जाति के आंशिक योजना की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। चम्बा में 22 जून को पर्यावरण पर आयोजित की जा रही कार्यशाला में भाग लेंगे। 23 जून को मुख्य मन्त्री वीरभद्र जी के जन्म दिवस के अवसर पर भरमौर के मेहला में आयोजित रक्त दान शिविर तथा मध्य हिमालयन परियोजना मेहला द्वारा आयोजित किसान मेले की भी अध्यक्षता करेंगे। 24 जून को बी.सी.सी. भरमौर तथा 26 जून को बी.सी.सी. शाहपुर की सामान्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 27 जून को वे वापिस शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे।

सरकारी नौकरियों में कांट्रेक्ट निति को समाप्त कर स्थाई नियुक्तियाँ की जाए:विश्वकर्मा

शिमला/शैल। नवभारत एकता दल ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि सरकारी नौकरियों में कांट्रेक्ट निति को समाप्त कर स्थाई नियुक्तियाँ की जाएँ। दल के राष्ट्रिय अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा ने कहा कि बहुत हो चुका हमारे युवा वर्ग का शोषण अब बन्द करो यह शोषण की नीतियाँ। विश्वकर्मा ने कहा कि अब यदि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट निति के अधीन नई नियुक्तियों के लिये विज्ञापन जारी किये तो नवभारत एकता युवा पीढ़ी को साथ लेकर डट कर विरोध करेगा और यह सिलसिला तव तक चलता रहेगा जव तक इस कॉन्ट्रेक्ट की शोषण करने वाली निति का अंत नहीं हो जाता। विश्वकर्मा ने कहा कि 2003 से कर्मचारियों के लिये बन्द पेंशन सुविधा को फिर से बहाल किया जाये। कहा कि यदि चुनाव में युवा पीढ़ी ने खुल कर साथ दिया तो सत्ता में आकर पहला काम होगा कान्ट्रेक्ट निति को खत्म करना। उन्होंने कहा कि नवभारत एकता दल सेवा की राजनीति करता है बो श्रेय लेने की दौड़ में शामिल होने में कोई रूचि नहीं रखता ध्येय यही होता है कि जनता को न्याय मिले सम्मान मिले सबको ऐश्वर्य नसीब हो और समाज में भाईचारा और प्यार बना रहे साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर वोट बैंक बढ़ाने वाले दलों की नवभारत एकता दल घोर निंदा करता है।

सड़क निर्माण के लिए उदारतापूर्वक भूमि दान देने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोगों से सड़क निर्माण तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए उदारतापूर्वक भूमि दान करने का आग्रह किया है ताकि विकास कार्यों में और तेजी लाई जा सके और प्रदेश प्रगति व आर्थिक उत्थान के पथ पर अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्र में धन राशि उपलब्ध होने के बावजूद विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं भूमि उपलब्ध न होने के कारण लम्बित पड़ी हुई हैं। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से भूमि दान के लिए आगे आने का आहवान किया ताकि वे विकास का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री शिमला जिला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवीं में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अनेक विभिन्न क्षेत्रों में आगे है, जिसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 'विकास एवं सम्पूर्ण विकास' के लक्ष्य पर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अनेक पग उठाए हैं। इसी के दृष्टिगत उन्होंने सेब व अन्य फलों की पैकिंग के लिए लकड़ी की पेटियों का प्रयोग बन्द करने का निर्णय लिया था। उन्होंने लोगों से वन्य जीव व हरित क्षेत्र को संरक्षित कर पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पिछड़ा क्षेत्र नहीं है और यहां पर हर क्षेत्र में विकास हुआ है तथा इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यालय, शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं और सड़क से वंचित गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

वीरभद्र सिंह ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के दौरान 150 करोड़ रुपये की लागत की 48 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए, जो अपने आप में रिकार्ड है। भारी वर्षा के बावजूद काफी संख्या में लोग विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सुना व अधिकारियों को उनकी समस्याओं के शीघ्र निवारण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गुम्मा तथा नौरा-ब्रूआ में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का शुभारम्भ किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुपवीं को स्तरोन्नत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौरा-ब्रूआ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपवीं के भवन की आधारशिला रखने के अतिरिक्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुपवीं में विज्ञान खण्ड तथा नौरा से पुलग, तराण से बनाह और डोबा से लोहानधार-सुमात्रा सड़कों की भी आधारशिला रखी। उन्होंने रोहन से बौर के लिए बनने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी।

वीरभद्र सिंह ने बोहाल ग्राम पंचायत की रोहन-बोहाल सड़क के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा गुम्मा में बैंक की शाखा खोलने की संभावनाओं को तलाशने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने बोहाल में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने रोहाना, भाड़गा, अंतरावली तथा रोहानधार पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने और जलोड़ी, सिरगाह, भटवाड़ी, आशाधार तथा देया में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने तथा घनकर व भंडोरा पाठशालाओं को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त दुसराई पाठशाला को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुपारी को आदर्श पाठशाला बनाने की भी घोषणा की।

उन्होंने कुपवीं में सैद्धांतिक आधार पर विकास खण्ड कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति दी, जिसका मामला संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिरगुल देवता मन्दिर कुपवीं में स्टेडियम के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की।

चौपाल विधानसभा के विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि कुपवीं क्षेत्र में गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान अभूतपूर्वक विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि नेरवा तथा चौपाल अस्पतालों को स्तरोन्नत किया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुपवीं को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देने के अतिरिक्त पुलिस केन्द्र खोलने खोला गया है। उन्होंने कहा कि सड़कों को पक्का करने के लिए धन राशि जारी की जा चुकी है और क्षेत्र में नई पेयजल योजनाओं को आरम्भ किया गया है।

हि.प्र. विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डा. सुभाष मंगलेट ने मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र का दौरान करने तथा करोड़ों रुपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखने व लोकार्पण करने तथा कुपवीं में तहसील कार्यालय खोलने के लिए आभार व्यक्त किया, जिससे साथ लगते दूरदराज क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।

हि.प्र. कांग्रेस समिति के सचिव रजनीश किमटा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

ग्राम पंचायत कुपवीं के प्रधान छाजू राम ने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विभिन्न मांगें रखीं।

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में रैन बसेरा लोकार्पित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला अस्पताल में कैंसर रोगियों के सहायकों के लिए रैन बसेरा का लोकार्पण किया। इसके निर्माण

पर पांच लाख रुपये खर्च किए गए हैं और इस राशि को उपायुक्त शिमला ने रेडक्रॉस के माध्यम से उपलब्ध करवाया।

वीरभद्र सिंह ने इस रैन बसेरा का निर्माण करने वाली गैर सरकारी संस्था ऑलमाइटी ब्लेसिंग्ज के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था पीड़ित मानवता की सेवा में प्रशंसनीय कार्य रही है। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संस्थाएं समाज कार्य में सरकारी क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास दूसरे लोगों को को भी प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कैंसर अस्पताल में कैंटीन के संचालन के लिए भी संस्था को सहयोग देने का आश्वासन दिया।

हिमाचल प्रदेश रेडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने भी संस्था के प्रयासों की सराहना की, जो रोगियों और उनके साथ आने वाले लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक तौर पर यह एक बहुत ही छोटी संस्था थी, परन्तु धीरे-धीरे इसका विस्तार हुआ और आज पूर्ण रूप से पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित है। ऑलमाइटी ब्लीसिंग संस्था के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा मुख्यमंत्री का रैन बसेरा समर्पित करने के लिए आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इससे मरीजों के साथ आए सहायकों को सुविधा मिलेगी।

आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉ. के.पी. चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद व अन्य वरिष्ठ चिकित्सक व अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे

चयनित हज यात्रियों से शेष हज राशि जमा करवाने का आग्रह

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सभी अस्थाई चयनित हज यात्रियों को शेष हज राशि जमा करवाने के लिए कहा गया है, जिसके तहत प्रति हज यात्री को अकमोडेश ग्रीन केटेगरी और अग्रिम हवाई किराया के लिए 1,40,050 रुपये तथा अजिजिया श्रेणी के हज यात्रियों को 1,06,150 रुपये प्रति हज यात्री जमा करवाने होंगे। यह राशि भारतीय हज कमेटी की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बैंक खाता संख्या 32175020010 शुल्क प्रकार-25 अथवा युनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता नंबर 318702010406009 में पूरे देश में उपलब्ध कोर बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त,वेबसाईट www.hajcommittee.gov.in पर आन लाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें उनकी कवर नंबर, बैंक संदर्भ नंबर, शाखा का नाम और पे इन स्लिप का कोड प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने कहा कि आईडीबी के कुर्बानी (अदाही) कूपन लेने के इच्छुक यात्रियों को 8,160 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी।

उन्होंने कहा कि सभी अस्थाई चयनित ग्रीन/अजिजिया यात्रियों को श्रेणी अनुसार 2 जुलाई, 2016 तक केन्द्रीय हज कमेटी को बताई गई राशि जमा करवानी होगी। हज यात्रियों की अदायगी रसीद हवाई टिकट बुकिंग के समय दिल्ली में जमा करवाई जाएगी।

मुख्य सचिव द्वारा मानसून के दृष्टिगत समयबद्ध तैयारियां करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी. सी. फारका ने कहा कि इस वर्षा ऋतु के दौरान राज्य में अच्छी वर्षा का पूर्वानुमान है जो राज्य सहित किसान समुदाय में खुशहाली लाएगा, लेकिन अत्यधिक जल प्रवाह, आकस्मिक बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रदेश के सभी उपायुक्तों, संबंधित विभागों व हितधारकों से आगामी वर्षा ऋतु के दौरान संभावित आपदा जोखिमों का सामना करने तथा इन्हें कम करने के लिए पूरी तरह तैयार व सजग रहने के निर्देश दिये।

फारका इस वर्षा ऋतु के दौरान आवश्यक ऐतिहाति तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य वर्षा ऋतु के दौरान भू-स्खलन के लिये संवेदनशील हैं, इसके मद्देनजर जान व माल के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से आपदा प्रबन्धन एहतियाती उपाय, बचाव, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने की नीति पर आधारित होना चाहिए।

फारका ने बाढ़ व भू-स्खलन की अधिक आशंकाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि ऐसे स्थलों की सूची जिला स्तर पर तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि समय रहते नदियों व बाढ़ की आशंका वाले स्थलों के किनारे अस्थाई रूप से बसी प्रवासी मजदूरों की कालोनियों को खाली कर इन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित की जाएं। उन्होंने पंचायत स्तर पर नदियों व नालों के किनारे मलवा व कूड़ा-कचरा फैंकने पर भी निगरानी रखने तथा समय रहते इसे हटाने के निर्देश दिए, ताकि पानी का बहाव अवरूद्ध न हो।

मुख्य सचिव ने आपदाओं से निपटने के लिए ऐतिहासी कदम उठाने पर बल देते हुए कहा कि लाईन विभागों एवं समस्त हितधारकों को समय पर मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए प्रभावी संचार व सूचना संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सभी विभागों आपदा के दौरान हर समय बेहतर सम्पर्क बनाए रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय, जिला, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों में आपसी ताल-मेल होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से शीघ्रता से निपटा जा सके। उन्होंने सतलुज, व्यास, रावी तथा अन्य नदियों में चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। उन्होंने जिला मुख्यालय में लैंड लाईन दूरभाष व ब्रॉड़बैंड सुविधा सहित नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए। हालांकि, कुछ जिलों में इन्हें पहले ही स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस, गृह रक्षा तथा नागरिक सुरक्षा विभागों द्वारा प्रदेश में त्वरित रिसपांस दलों का गठन पहले ही किया जा चुका है ताकि किसी भी आपदा से तत्काल निपटा जा सके। उन्होंने उपायुक्तों से संबंधित जिलों में जिला आपदा रिसपांस दल गठित करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य से जुड़े सभी लोगों को प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण का प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पूरे प्रदेश तथा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर स्थापित जल निकासी को दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए।

वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पीरन में एसएमसी द्वारा भरा जाएगा डीपीई का पद

शिमला/शैल। शिमला जिला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पीरन में स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से एक पद डीपीई का भरा जाना है, जिसके लिए पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन पूर्ण दस्तावेजों के साथ 30 जून, 2016 तक प्रधानाचार्य कार्यालय के नाम भेज सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य जयन्त शर्मा ने बताया कि डीईपी का पद पीरियड के आधार पर भरा जाना है और इसके साक्षातकार के लिए तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना संबंधित उम्मीदवार को समय पर दी जाएगी। उन्होने कहा कि उम्मीदवार अपने आवेदन पर मोबाईल नंबर अवश्य लिखे ताकि सूचना समय पर दी जा सके। उन्होने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है, इसके उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है.....चाणक्य

सम्पादकीय

ससंदीय सचिव क्यों?

दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त इक्कीस संसदीय सचिवों के भविष्य पर तलवार लटक गयी है। इन विधायाकों की सदस्य रद्द होने की संभावना बढ़ गयी है क्योंकि संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद की परिभाषा से बाहर रखने के आश्य का एक विधेयक दिल्ली विधानसभा से पारित करवाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा था। दिल्ली को अभी तक पूर्णराज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिये यह विधेयक केन्द्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास गया। केन्द्र सरकार ने इस पर प्रक्रिया संबधी कुछ तकनीकी टिप्पणीयां के साथ यह बिल राष्ट्रपति को भेजा। लेकिन इन तकनीकी टिप्पणीयों के कारण राष्ट्रपति भवन से इसकी स्वीकृति नही मिली। स्वीकृति न मिलने से यह मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया हैं क्योंकि देश के लगभग राज्यों में वहां के मुख्यमन्त्रीयों ने संसदीय सविच/ मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त कर रखें हैं। इसमें हर राजनीतिक दल ने अपनी–अपनी सरकारों में इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां कर रखी हैं।

हिमाचल प्रदेश में नौ मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त हैं। विधानसभा में जब माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ौतरी के बिल आये हैं उनमें मुख्यसंसदीय सचिवों का उल्लेख अलग से रहा है। इनके वेतन भत्ते मंत्रीयों से कम और सामान्य विधायकों से अधिक रहे हैं। इन्हें सचिवालय में अलग से कार्यालय मिले हुए हैं। सरकार से मन्त्रीयों के समान सुविधायें इन्हें प्राप्त हैं। कार्यालय में पूरा स्टाफ है तथा सरकार से गाड़ी ड्राईवर और उसके लिये पैट्रोल आदि का सारा खर्च सरकार उठा रही है। पदनाम को छोड़कर अन्य सुविधायें इन्हें मन्त्रीयों के ही बराबर मिल रही है। बल्कि प्रदेश के लोकायुक्त विधेयक में तो इन्हें मन्त्री परिभाषित कर रखा है।

स्मरणीय है कि वर्ष 2005 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से केन्द्र और राज्यों की सरकारों में मन्त्रीयों की संख्यां एक तय सीमा के भीतर रखी गयी है। हिमाचल में मन्त्रीयों की अधिकतम सीमा मुख्मन्त्री सहित बारह है। दिल्ली में यह संख्या सात तक है। लेकिन राजनीतिक समांजस्व बिठाने के लिये संसदीय सचिवों की नियुक्तियां हो रखी हैं। नियमों के मुताबिक संसदीय सचिव को किसी विभाग की वैसी जिम्मेदारी नही दी जा सकती है जो एक मन्त्री/राज्य मन्त्री/ उप मन्त्री को हासिल रहती है। संसदीय सचिव का किसी न किसी मन्त्री से अटैच रहना आवश्यक है। उन्हे एक राज्य मन्त्री की तरह स्वंतत्र प्रभार नही दिया जा सकता । संसदीय सचिव जिस भी विभाग के लिये संवद्ध हो वह उस विभाग की फाईल पर संवद्ध विषय पर अपनी राय अधिकारिक रूप से दर्ज नही कर सकता। नियमों के मुताबिक संसदीय सचिव की भूमिका तभी प्रभावी होती है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। सत्र के दौरान संवद्ध मन्त्री को संसदीय सलाह/ सहयोग देना ही उसकी जिम्मेदारी रहती है। बल्कि सत्र में मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय सचिव संवद्ध विभाग से जुड़े प्रश्न का उत्तर भी सदन में रख सकता है। लेकिन सामान्यत: ऐसा किया नही जाता है।

ऐसे में जब किसी संसदीय सचिव किसी भी विभाग की वैधानिक तौर पर जिम्मेदारी नही दी जा सकती है तब उसमें और एक सामान्य विधायक में कोई अन्तर नही रह जाता है। क्योंकि संसदीय सचिव मन्त्री के समकक्ष नही रखा गया है। लेकिन वह सामान्य विधायक से संसदीय सचिव होने के नाते ज्यादा सुविधायें भोग रहा है। उसके वेतन भत्ते भी सामान्य विधायक से अधिक हैं। लेकिन 2005 में संविधान में संशोधन लाकर मन्त्रीयों की अधिकतम सीमा तय की गयी थी तब संसदीय सचिवों का कोई प्रावधान नही रखा गया था क्योंकि ऐसा प्रावधान मूलत: संविधान की नीयत के एकादम विपरीत है। ऐसे में अब दिल्ली के संसदीय सचिवों का मुद्दा एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ है तो उसके लिये पूरे देश में एक समान व्यवस्था का प्रावधान करना होगा। अलग–अलग राज्यों में आज अलग–अलग प्रावधान नहीं हो सकते। इसके लिये एक बार फिर संशोधन लाकर मन्त्रीयों की संख्या बढ़ा देना ज्यादा व्यवहारिक होगा और उसमें संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर विराम लग जाना चाहिए।

तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार से खुले युवाओं को रोजगार के द्वार

युवाओं के कौशल उन्नयन, कुशल श्रमशक्ति का सृजन करने, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित बनाने में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की अहम् भूमिका है। आधुनिक युग में कौशल एवं जानकारी देश अथवा राज्य की आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक उन्नति के मंत्र हैं। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के इस युग में पूर्ण रूप से कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिये विशेषकर दूर–दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक तकनीकी संस्थान खोले हैं, ताकि अधिक से अधिक युवा कंपनियों एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल परक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके इनमें रोजगार प्राप्त करने के लिये सक्षम बनें।

♦ प्रदेश के तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों की प्रवेश क्षमता 57000 के पार

♦ आईआईआईटी व आईआईएम सहित राज्य सरकार ने गत तीन सालों में खोले 3 4 नए संस्थान

वर्तमान में प्रदेश में कुल 306 तकनीकी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील हैं जिनकी अंतर्ग्रहण क्षमता 57000 से अधिक है। इन संस्थानों में चार राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 01 राजकीय बी. फार्मेसी महाविद्यालय, 15 बहुतकनीकी तथा 104 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरकारी क्षेत्र में, जबकि 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 13 बी. फार्मेसी महाविद्यालय, 24 बहुतकनीकी तथा 131 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र में क्रियाशील हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना की कक्षाएं सत्र 2014–15 से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) हमीरपुर में प्रारम्भ की गई हैं। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय की सिविल, मैकेनिकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स व कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की कक्षाएं सत्र 2014–15 से आरम्भ कर दी गई हैं, साथ ही वर्ष 2015–16 से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा एमबीए की कक्षाएं भी प्रारम्भ की गई हैं।

राज्य के शेष पांच जिलों किन्नौर, सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पिति के राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की कक्षाएं सत्र 2013–14 से अस्थाई परिसर क्रमश: राजकीय बहुतकनीकी रोहडू, अम्बोटा, हमीरपुर, सुन्दरनगर एवं जे.एन. राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में आरम्भ की गई थीं, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी कुल्लू एवं सिरमौर की कक्षाएं प्रथम अगस्त, 2015 से इनके स्थाई परिसर क्रमश: धौलाकुआं तथा कुल्लू के सेऊबाग में स्थानान्तरित कर दी गई हैं, जबकि राजकीय बहुतकनीकी बिलासपुर के भवन निर्माण का कार्य कलोल में आरम्भ हो गया है।

वर्ष 2013–14 से सात, वर्ष 2014–15 से छ: व वर्ष 2015–16 से भी छ: नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किए गए हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजकीय औद्योगिक संस्थान विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, मण्डी जिले के मोहीं, शिमला जिले के मशोबरा तथा नैनीधार, चम्बा के छतराड़ी तथा सिरमौर के माईना में भी नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। मण्डी जिला के राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर में ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में कम्यूनिटी कालेज की कक्षाएं पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं।

राजकीय औद्योगिक संस्थान नालागढ़ को भारत सरकार ने मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। सिरमौर जिले में भारतीय प्रबन्धन संस्थान की कक्षाएं पांवटा साहिब में अस्थाई परिसर में 4 सितम्बर, 2015 से शुरू हो गई हैं। कैम्पस निर्माण हेतु भूमि प्रदेश सरकार द्वारा धौलाकुआं में उपलब्ध करवा दी गई है। राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय रामपुर की सिविल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में शुरू की गई हैं। सोलन जिला के बद्दी में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की कक्षाएं 3 अगस्त, 2015 से शुरू हो गई हैं। शिमला जिला के जुंडला में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान महिला की कक्षाएं भी 18 अगस्त, 2015 से आरम्भ हो चुकी हैं।

कांगड़ा जिला के थाना लाहड में एडवांस प्रशिक्षण संस्थान तथा बिलासपुर जिला के बदला में हाईड्रो अभियान्त्रिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जनजातीय, दुर्गम क्षेत्रों एवं पिछड़ी पंचायतों में नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा 3 जून, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तकनीकी संस्थानों से निर्धारित दो वर्ष अथवा अधिक समयावधि का प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को दो अतिरिक्त विषयों अंग्रेजी एवं एक अन्य विषय उत्तीर्ण करने पर जमा दो आर्टस स्ट्रीम के समकक्ष माना जाएगा। राज्य में 10 नई स्टेट–ऑफ–द–आर्ट आई. टी.आई. स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 17 मार्च, 2016 को अधिसूचनाएं जारी की हैं, और ये संस्थान मैंटर संस्थानों में आगामी शैक्षणिक सत्र 2016–17 से आरम्भ किए जा रहे हैं।

कांगड़ा जिले के रैहन क्षेत्र में एक राजकीय बहुतकनीकी महिला संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने 19 मार्च, 2016 को अधिसूचना जारी कर दी है, तथा इस संस्थान पर एशियन विकास बैंक के सहयोग से 26 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिला में एक राजकीय फॉर्मेसी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसकी अधिसूचना भी राज्य सरकार ने 12 अप्रैल, 2016 को जारी कर दी है।

प्रदेश में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 6 शहरी कौशल विकास केन्द्रों तथा 25 ग्रामीण कौशल विकास केन्द्रों को एशियन विकास बैंक की सहायता से तीन वर्षों की अवधि में लगभग 125 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है, जिनमें से 8 केन्द्र तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से विभागीय भूमि पर चलाए जाने प्रस्तावित हैं।

एशियन विकास बैंक के सहयोग से लगभग 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है तथा एन.सी.वी.टी. मानकों के अनुसार इनमें मशीनरी एवं उपकरण क्रय हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के सभी राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में एन.एस.क्यू.एफ. स्तर–5 एवं 6 के कौशल विकास के लिए पाठयक्रम शुरू किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से वर्तमान वर्ष में 2–3 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में ये कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए विभाग के अधीनस्थ चलाए जा रहे 104 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एन.सी.वी.टी./डी.जी.टी/एस.सी.वी.टी. से सम्बद्धता प्राप्त है। 80 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को क्यू.सी.आई. द्वारा एन.सी.वी.टी. मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया गया है, और शेष राजकीय संस्थानों को चरणवद्ध तरीके से एन.सी.वी.टी. सम्बद्धता प्राप्त की जा रही है। इसके अलावा, राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों एवं राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों को भी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन से मान्यता प्राप्त करने हेतु पंजीकरण करवाने को लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग में 1 जनवरी, 2013 से अब तक विभिन्न श्रेणियों के कुल 942 पद सृजित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विभाग में 204 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान आईआईआईटी व आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों सहित 34 नये संस्थान खोले गए हैं जिनमें राज्य के युवाओं को राज्य के अन्दर ही पसंदीदा पाठयक्रम उपलब्ध हुए हैं। पूर्व में युवाओं को उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये राज्य से बाहर जाना पड़ता था और भारी भरकम धनराशि खर्च करनी पड़ती थी। यही नहीं, अधिकांश युवा उच्च व्यावसायिक शिक्षा सुविधा के अभाव में इससे वंचित रह जाते थे। लेकिन अब राज्य में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार से यहां तक कि बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में बच्चे यहां शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं।

सरकार के दो वर्ष

ई टूरिस्ट वीजा से हुई विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी

–मंजरी चतुर्वेदी'–

पर्यटन के क्षेत्र में विकास और देश की जीडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी को बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख एजेंडों में से एक है। इसके लिए केंद्र सरकार जहां एक ओर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है तो दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। इसके तहत सरकार बुनियादी ढांचे को सुधारने से लेकर पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार पर्यटन के नक्शे पर भारत का नाम प्रमुखता से उभारना चाहती है, इसी के मद्देनजर वह विदेशी पर्यटकों को भारत बुलाने पर खासा ध्यान दे रही है।

इसके तहत जहां एक ओर भारत सरकार ने ई टूरिस्ट वीजा का शुरुआत की, वहीं दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन से लेकर टूरिस्ट किट व मोबाइल सिम तक तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने नंवबर 2014 को भारत में ई टूरिस्ट वीजा की शुरुआत की थी। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया था।

ई टूरिस्ट वीजा योजना के शुरू में 43 देशों को ये सुविधा दी गई थी, लेकिन 2016 आते–आते यह सुविधा 150 देशों तक पहुंच चुकी हैं। जिसमें दुनिया के तमाम छोटे–बड़े देश तक सब शामिल हैं। गौरतलब है कि इस समय देश के 16 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर यह सुविधा काम करने लगी है। इन महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरू, तिरुअनंतपुरम, गोवा, कोच्चि, वाराणसी, गया, अहमदाबाद, अमृतसर, तिरुचिरापल्ली, जयपुर और लखनऊ शामिल हैं।

विदेशी पर्यटकों की आवक को लेकर की जा रही कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देश में ई टूरिस्ट सुविधा लागू होने के बाद विदेशी पर्यटकों की आवक बढ़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ट्रैवल एंड टूरिस्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। जहां यह पहले 65वें पायदान पर था, वहीं ताजा आंकड़ों के मुताबिक 12 पायदान आगे बढ़कर अब 53 पायदान पर आ गया है। गौरतलब है कि जनवरी से दिसंबर तक साल 2015 में जहां विदेशी पर्यटकों की तादाद 80.2 लाख रही, जबकि जनवरी से दिसंबर तक साल 2014 में यह तादाद 76.8 लाख थी। एक साल में इस आंकड़े में 4.4 फीसदी की बढोतरी देखी गई। इस साल भी इसमें भरपूर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साल 2016 की जनवरी में भी ट्रेंड लगातार जारी है। इस साल जनवरी में जहां 8.4 लाख लोग आए, वहीं जनवरी 2015 में विदेशी पर्यटकों की आवक 7.9 लाख थी। इस तादाद में तकरीबन 6.8 फीसदी का इजाफा देखा गया।

विदेशी पर्यटकों की आवक का एक बड़ा असर देश की विदेशी मुद्रा की आय में बढ़ोतरी के तौर पर भी दिखा। सरकारी आंकड़ें के मुताबिक, विदेशी पर्यटकों के जरिए साल 2013 में जहां 1,07,671 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय हुई, वहीं साल 2014 में यह बढ़कर 1,23,320 करोड़ रुपये हुई, जबकि साल 2015 में यह राशि 1,35,193 करोड़ रुपये हो गई।

विदेशी पर्यटकों की आवक में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ई टूरिस्ट वीजा के तहत हुई है। जनवरी से दिसंबर तक साल 2015 में ई टूरिस्ट वीजा पर 4,45,300 पर्यटक दिल्ली पहुंचे, वहीं दूसरी ओर इसी अवधि में साल 2014 में यह संख्या 39,046 थी। इस दृष्टि से यही बढ़ोतरी लगभग 1040 फीसदी रही। साल 2016 के जनवरी–फरवरी में ई टूरिस्ट वीजा के जरिए 2,05,372 पर्यटक पहुंचे, जबकि इसी अवधि में साल 2015 में यह तादाद 50,008 थी। इस लिहाज में यह वृद्धि तकरीबन 310 फीसदी रही। साल 2015 में ई टूरिस्ट के जरिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा तादाद यूके, अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया और चीन की रही।

ई टूरिस्ट वीजा के जरिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सरकार ने एक स्वागत पुस्तिका या वेलकम बुकलेट की सुविधा देना भी शुरू किया है, जिसमें विदेशी पर्यटकों को एयरपोर्ट पर उतरते ही एक बुकलेट दी जाती है, जिसमें पर्यटन अधिकारियों के संपर्क नबर, ईमेल आई डी जैसी तमाम जानकारी के साथ–साथ यहां 'क्या करें' और 'क्या न करें' की एक लिस्ट भी रहती है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी होती है। पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक टूरिस्ट हेल्प लाइन सेवा भी शुरू की है, जिसमें फिलाहल बारह विदेशी भाषाओं के माध्यम से जानकारी उपलब्ध है।

यहां जानना रोचक होगा कि पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटकों के लिए अलग–अलग जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की सुविधाओं और योजनाओं पर काम करना शुरू किया है 'मसलन धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, एडवेंचर व रोमांचक पर्यटन के अलावा, सामान्य पर्यटन तो है ही। भारत कई धर्मों का एक संगम है' इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा दिया है। एनडीए सरकार द्वारा शुरू किए गए बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट और कृष्ण सर्किट इसी मकसद से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग सहित तमाम पूर्वोत्तर एशियाई देशों में बड़ी तादाद में बौद्ध रह रहे हैं। इन सब देशों के लिए भारत एक बेहद सम्मानित और पावन स्थान के तौर पर देखा जाता है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार देश में बुद्ध सर्किट को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। भारत बुद्ध सर्किट को लेकर सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी देशों मसलन, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के साथ मिलकर भी एक ग्रेटर बुद्ध सर्किट की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रही है।

वहीं दूसरी ओर भारत ने मेडिकल और वेलनेस पर्यटन की दिशा में भी काफी कदम आगे बढ़ाया है। इसी के मद्देनजर पर्यटन मंत्रालय ने देश में मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड बनाया है। इसका मकसद देश व दुनिया के तमाम रोगियों को भारत में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि भारत के मेडिकल सुविधाओं, क्वालिटी और डॉक्टरों व हॉस्पिटल्स के स्तर को देखते हुए अब पूरी दुनिया से लोग भारत इलाज के लिए आ रहे हैं। इनमें पूर्वोत्तर व पश्चिमी एशियाई देशों के अलावा, यूरोप व लैटिन अमेरिकी देशों के लोग शामिल हैं। दरअसल, पर्यटन से जुड़े नियोजकों का मानना है कि इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी अपने शिड्यूल में थोड़ा समय घूमने फिरने के लिए भी रखते हैं। दूसरी ओर अब वेलनेस भी लोगों के बीच एक बड़ा ट्रेंड हो गया है। दुनिया में अब तमाम लोग योग व नेचुरल थेरेपी, स्पा आदि के जरिए अपनी सेहत को ठीक रखने पर जोर देने लगे हैं। इसे देखते हुए केरल, सहित देश के तमाम हिस्सों में नेचुरोपैथी व योग जैसी चीजों के लिए बड़ी तादाद में विदेशी भारत आ रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार इस क्षेत्रों को संगठित करने की कोशिश में लगी है।

चरित्रवान युवा बनकर समाज सेवा में बने भागीदार

शिमला। विवेकानंद केंद्र ने हिमाचली युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने जीवन के दो वर्ष दें, जिससे वे चरित्रवान युवा बनकर राष्ट्रसेवा में अपना बहुमुल्य योगदान दे सके और समाज उत्थान का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। विवेकानंद केंद्र की अखिल भारतीय सह संगठक और शिमला नगर संगठक कल्पना मेहता ने कहा कि केंद्र ने युवाओं से सेवाव्रती बनने के लिए एक योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अनुसार कोई भी युवा जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच हो इसमें भाग ले सकता है। इसमें युवाओं से अपील की गयी है कि वे कम से कम दो साल देकर सेवाव्रती बनने का संकल्प करे। कल्पना मेहता का कहना था कि जब तक युवा इस केंद्र से जुड़े रहेंगे तब तक उनका आवास, भोजन आदि जीवनयापन का सारा खर्च केंद्र के द्वारा वहन किया जायेगा। विवेकानंद केंद्र से जुड़ने वाले युवाओं को व्यक्तिव्य विकास के भरपूर मौके प्रदान किये जायेंगे जिससे उनके जीवन में इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि विवेकानंद केंद्र भारत के हर क्षेत्र में अनेक सामाजिक सेवकार्यो से जुड़ा हुआ है जिनमें समाज के लिए हर स्तर पर कार्य किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर केंद्र के कार्यो के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गांवों में कुंए खोदना, रास्ते बनाने से लेकर स्कूली शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलना शामिल है। पूरे भारत में विवेकानंद केंद्र द्वारा 65 स्कूल खोले गये हैं हिमाचल में भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा। उनका कहना था कि गांव में प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करने के लिए ग्रामीणों को उनकी संस्कृति का वास्तविक ज्ञान कराना भी इस केंद्र का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पूर्वोत्तर भारत में किए गये केंद्र के कार्यो पर संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का सही ज्ञान नहीं है, इसी लिए इस कार्य को इस केंद्र द्वारा संचालित किया गया जिसमे आशातीत परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर सांस्कृतिक विविधता का एकीकरण करके एकरूप में ढालने का काम भी यह केंद्र सफलतापूर्वक कर रहा है। उनका कहना था कि विवेकानंद केंद्र द्वारा2 विभिन्न विषयों पर वर्ग कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं जिनमें संस्कार वर्ग, स्वास्थ्य वर्ग और योग वर्ग आदि प्रमुख है ताकि समाज में संस्कारित, स्वस्थ और सबल लोगों का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा जो बच्चे अपनी शिक्षा के बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए आनन्दालय की स्थापना की गयी है ताकि वे शिक्षा से वंचित न हो पाये। अपने कार्यो को सुचारू रूप से बढ़ाने और सेवाकार्यो को गति प्रदान करने के उदेश्य से उन्होंने हिमाचली युवाओं से अपील की है कि वे अपना कम से कम दो साल का समय इन सेवा कार्यो में लगाये। इस दौरान उनको चरित्र निर्माण और व्यक्तिव्य विकास के भरपूर मौके केंद्र द्वारा प्रदान किये जायेंगे। केंद्र द्वारा योजना संबधी समस्त जानकारी www.v.kendra.org में प्रदान की गयी है। इसके अलावा 9418036995 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कल्पना मेहता
अखिल भारतीय सह संगठक और शिमला नगर संगठक

नाहन मेडिकल कॉलेज को इसी शैक्षिक सत्र से शुरु किए जाने की अनुमति:जे.पी.नड्डा

शिमला/शैल। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी नड्डा ने एक ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस शैक्षिक वर्ष से नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 100 एमबीबीएस सीटों की मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य सरकार इसी वर्ष से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरु कर सकेगी। नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि इससे राज्य में चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता की स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी।

जे.पी.नड्डा ने आगे उल्लेख किया कि यह ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 256.92 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन को प्रदान की गयी मंजूरी के अतिरिक्त है। यह हिमाचल प्रदेश में जन-स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तार करने की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम है।''

उन्होंने बताया कि एनएचएम के तहत वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के तहत प्रतिबद्ध दायित्व के अतिरिक्त, 85 करोड़ रुपए लागत की प्रमुख ढांचागत परियोजनओं को अनुमोदन दिया गया है। इसमें 3 नए मातृ एवं बाल स्वास्थ्य विंग हैं जिनमें 40 करोड़ रुपए की लागत से डॉ. आरपीजी एमसी टांडा में 200 बिस्तरों का एमसीएच विंग, 10-10 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से डॉ. वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूरपुर में एमसीएच विंग शामिल है। इन दोनों में 50-50 बिस्तरों का प्रावधान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय द्वारा सीएचसी, सरकाघाट में 3 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त आईपीडी ब्लॉक और नौराहधार में सीएचसी भवन, जिसके लिए 4.63 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, की मंजूरी प्रदान की गई है। इसी क्रम में, एनएचएम के तहत इस वर्ष की राज्य योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नौ नए पीएचसी भवनों और 32 उप-केंद्रों को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचएम के अन्तर्गत वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। कमला नेहरु अस्पताल (केएनएच), शिमला तथा जोनल अस्पताल मंडी में पूर्व में अनुमोदित एमसीएच विंग के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय नि:शुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला अस्पतालों द्वारा पीपीपी मोड के अंतर्गत इस सेवा को शुरू करना अपेक्षित है तथा इस वर्ष की योजना में एक (1) करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं के लिए समेकित आपातकालीन सेवाओं हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार ने आपातकालीन परिचर्या के अंतर्गत 26 पुरानी एंबुलेंसों (108 के अंतर्गत) को बदलने तथा गर्भवती महिला एवं रुग्ण नवजात शिशुओं के लिए नि:शुल्क रेफरल परिवहन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के लिए इस वर्ष कुल 10 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है।

''स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत'' के अधिदेश के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन पर जोर दिया गया है तथा इस वर्ष की योजना में 5.3 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। इसमें जन-स्वास्थ्य में कायाकल्प पहल, हरित शौचालय का निर्माण, हेपाटाइटिस-बी टीकाकरण तथा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन शामिल होगा।

जे पी नड्डा ने कहा कि अनिवार्य दवाइयों की सस्ती और सुलभ उपिलब्धता सुनिश्चत करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए 35 करोड़ रुपए की नि:शुल्क औषध सेवा को अनुमोदन प्रदान किया गया है। मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर जिला कांगड़ा में अनमोल के जरिए टैबलेट आधारित एमसीटीएस डॉटा एंट्री और उन्नयन के एक प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया।

मंत्री ने यह दोहराते हुए आश्वासन दिया कि मंत्रालय पर्वतीय राज्य में जन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करके उसमें सुधार करेगा।

जब 81 साल के CM का सबके सामने उमड़ पड़ा बीवी के लिए प्यार

शिमला/शैल। 81 साल के हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अपनी बीवी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के प्रति प्यार सबके सामने उमड़ पड़ा। उमड़ा भी ऐसे कि सभी दंपतियों के लिए ये प्रेरणा जैसा है।

मौका उनकी बीवी प्रतिभा सिंह के जन्मदिन का था। मुख्यमंत्री की बीवी का जन्मदिन हो और जश्न न हो ऐसे भला कैसे हो सकता है। जश्न भी मना और केक भी कटी। लेकिन सबसे प्यारा पल वो रहा जब वीरभद्र सिंह ने अपनी बीवी की ओर अपने हाथों से केक का निवाला बढ़ाया। चारों ओर उनके वफादार थे।

जो देखने वाली चीज थी वो थे दोनों मियां-बीवी के चेहरे पर उमड़े भाव। सीबीआई पूछताछ से बेशक दोनों परेशान हो लेकिन इस मौके पर दोनों खुश नजर आए।

हमीरपुर में पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग

शिमला/शैल। भाजपा सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले और उनसे हमीरपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की और इस बारे में ज्ञापन सौंपा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिलहाल पुरे हिमाचल प्रदेश में केवल एक पासपोर्ट कार्यालय शिमला में है। समय के साथ साथ, इस कार्यालय पर काम का दबाव बढ़ा है। शिमला में कार्यालय होने के कारण, प्रदेश के 12 में से 8 जिलों के लोगों को काफी कठिनायों का सामना करना पड़ता हैं। हमीरपुर में कार्यालय खुलने से, शिमला कार्यालय पर दबाव कम होगा।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हमीरपुर क्षेत्र से और खासकर हमीरपुर और ऊना जिले से कई लोग खाड़ी देशों में नौकरी की तलाश में जाते है और इसलिए उन्हें पासपोर्ट की जरुरत पड़ती है। हमीरपुर में पासपोर्ट कार्यालय खुलने से इन देशों में जाने वाले

लोगों को सुविधा होगी। सुषमा स्वराज ने अनुराग ठाकुर को आश्वासन दिया की इस मामले में वो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

धूमल के नेतृत्व में भाजपा ने मेरे खिलाफ झूठे मामले बनाए:वीरभद्र

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस स्वच्छ राजनीति में विश्वास करती है और क्षेत्र, धर्म की राजनीति नहीं करती तथा न ही लोगों को जाति के आधार पर बांटने में विश्वास करती है। वह जिला सिरमौर में शिलाई में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घटिया राजनीति की शरण में वही जाते हैं, जो लोगों के कल्याण के बजाय अपने हित सिद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की स्वेच्छा से सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की दो बार सरकारें बनीं और उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मामले बनाए तथा दोनों ही बार सेशन ट्रायल से गुजरे और पाक साफ होकर निकले। अब उनके आय कर मामले की तीन जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो अपने आप में हैरानी की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही लोगों का समग्र विकास कर सशक्त करने की नीति पर विश्वास करती रही है और लोगों को आधारभूत सुविधाएं व गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और देश का जिम्मेवार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे।

उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज की राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका रहती है और इसीसे खुशहाली सुनिश्चित होती है। विपक्ष द्वारा शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए आलोचना की जा रही है, परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा ही शिक्षित समाज व प्रदेश के समग्र विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 113 महाविद्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस शासनकाल के दौरान खोले गए इसके अतिरिक्त प्रदेश में 15534 पाठशालाएं हैं। ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में अधिकतर स्कूल खोले व स्तरोन्नत किए गए हैं, जिनसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को लाभ मिला है। प्रदेश सरकार राज्य के ऐसे दूरदराज क्षेत्रों में स्कूल खोलने के प्रति वचनबद्ध है, जहां पर मात्र तीन विद्यार्थी भी हों।

मुख्यमंत्री ने अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाजों, परम्पराओं व बोलियों के संरक्षण पर बल दिया तथा कहा कि यह हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति व समाज की पहचान केवल उसकी समृद्ध संस्कृति व भाषा से ही होती है। उन्होंने कहा कि जो वे सभ्यताएं नष्ट हो गई, जो अपनी संस्कृति व परम्परा को सरंक्षित करने में असफल रहीं। उन्होंने कहा कि वह लोगों से मिलने में विश्वास रखते हैं ताकि विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास को जान सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरद्वार के निकट सुनिश्चित बना सकें। इसी कारण वह प्रदेश के सभी क्षेत्रों का नियमित दौरा करते हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नाहन में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमीरपुर और चम्बा में भी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। मण्डी जिला के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को सरकार अपने अधीन ले रही है और सरकार सिरमौर जिला के धौलाकुआं में भारतीय प्रबन्धन संस्थान खोला जा रहा है।

एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन एक्शन कमेटी के अध्यक्ष समेत 30 कर्मचारी सस्पेंड

शिमला/शैल। हाईकोर्ट की ओर से एचआरटीसी के कर्मचारियों को हड़ताल को गैर कानूनी ठहरा देने के बावजूद इन कर्मचारियों की ओर से हड़ताल पर चले जाना मंहगा पड़ गया है। सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शंकर लाल समेत 30 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ा फैसला है।

ये खुलासा परिवहन मंत्री जी एस बाली ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लैक मेल होने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी से गदगद हुए बाली ने कहा अदालत ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को खुला हाथ दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये हड़ताल यूनियन के अंदरुनी कलह का नतीजा था। इसके अलावा कई कर्मचारियों के खिलाफ मामले चले हुए हैं व सस्पेंड हैं सो वो प्रबंधन व उन पर दबाद बनाने में लगी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एस्मा लगा दिया है। इसे कर्मचारी हड़ताल पर जाने से पहले सोचेंगे।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कर्मचारी ड्यूटी पर लौटेंगे व जिन्हें सस्पेंड किया गया हैं वो अदालत में अपने केस की पैरवी करे। एस्मा का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों को तीन साल तक की सजा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों ने कानून को बंधुआ बना लिया था जबकि उनकी अधिकांश मांगे मान ली गई थी।

उन्होंने इस मौके पर टैक्सियों

के परमिट जारी करने की घोषणा भी की व कहा कि परिवहन विभाग कल से परमिट देना जारी कर देगा। विभाग कम से कम 500 नए रूटों पर परमिट देगा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों की सारी मांगे मान ली हैं। कर्मचारी नेता लोगों व मीडिया को गुमराह कर रहे हैं।

प्रेस कांफ्रेस से पहले सुबह बाली ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि जब वो कर्मचारियों की भलाई के सुधारों की रूपरेखा तैयार कर रहे तो कर्मचारी नेता राजनतिक रंजिश व निजी हठ से वशीभूत होकर धमकियों भरे संदेश भेज रहे थे।

ये अपने आप में गंभीर आरोप है कि कर्मचारी किसी मंत्री को धमकी दे रहे हो। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी संदेश को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर नहीं किया। उन्होंने सुबह फेसबुक वॉल पर डाली पोस्ट से ही संकेत दे दिया था कि कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भारत पोलियो मुक्त देश बना रहेगा

शिमला/शैल। भारत अभी भी पोलियो मुक्त देश बना हुआ है क्योंकि देश से वाइल्ड पोलियो वायरस का उन्मूलन कर दिया गया है और इसका अंतिम मामला 13 जनवरी, 2011 को पाया गया था तथा 5 वर्ष से अधिक समय से वाइल्ड पोलियो वायरस के किसी भी नए मामले का पता नहीं चला है।

मीडिया में कुछ रिपोर्टें आई कि 5 वर्ष में पहली बार भारत में पोलियो वायरस (पी2 स्ट्रेन) पुन: पाया गया है, तथापि यह सही नहीं है क्योंकि पाया गया पोलियो वायरस स्ट्रेन टीके से व्युत्पन्न पोलियो वायरस (वीडीपीवी) है, जिसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के निकट सीवेज सैम्पल से एकत्र किया गया है, तथापि आसपास के क्षेत्रों में किसी भी बच्चे को वीडीपीवी से प्रभावित नहीं पाया गया है। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप – 2 का

अंतिम मामला 17 वर्ष पूर्व 1999 में रिपोर्ट किया गया था। टीके से व्युत्पन्न पोलियो वायरस (वीपीडीवी) के पाए जाने से देश की पोलियो मुक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह सिर्फ देश की निगरानी प्रणाली की दृढ़ता और उसकी इच्छाशक्ति को दर्शाता है जो कि आसपास के वातावरण (सीवेज) में भी पोलियो वायरस के पाए जाने के प्रति सतर्क रहता है। टीके से व्युत्पन्न पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के दुर्लभ स्ट्रेन हैं जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) में निहित स्ट्रेन से अनुवांशिक रूप से परिवर्तित हुए हैं।

क्षेत्र की त्वरित निगरानी समीक्षा से यह बात सामने आई है कि पोलियो टाइप – 2 के प्रति लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है क्योंकि 24 अप्रैल, 2016 तक राज्य में ट्राईवेलेन्ट ओरल पोलियो वैक्सीन (टीओपीवी) का उपयोग किया गया था और जनवरी तथा फरवरी, 2016 में दो व्यापक टीकाकरण अभियान चलाए गए थे। क्षेत्र में हाल में कराए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 94% बच्चों ने ओपीवी की कम – से – कम 3 खुराक प्राप्त की थीं। अतरू संबंधित क्षेत्र में इसके हस्तांतरित होने की संभावना कम है।

तथापि, पोलियो के खिलाफ एहतियाती उपाय के तौर पर हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को कवर करते हुए 20 जून से एक विशेष प्रतिरक्षण अभियान का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इनएक्टिवेटिड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) के जरिए पोलियो से लगभग 300000 बच्चों को सुरक्षित किया जाएगा। विशेष प्रतिरक्षण अभियान यह सुनिश्चित करेगा कि उच्च जोखिम क्षेत्र में रहने वाले सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षा प्रदान की जाए।

अभी आयोजित किए जा रहे विशेष अभियान के भाग के रूप में 6 सप्ताह से तीन वर्ष के आयु समूह के बीच के बच्चों को इन्जेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (आईपीबी) की एक अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। इन अभियानों में कवर किए जा रहे क्षेत्रों में टीकाकरण बूथों की स्थापना की जाएगी। तथापि, घर – घर जाकर टीकाकरण अभियान नहीं चलाया जाएगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के माता – पिता को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सुनिश्चित करें कि निकटतम टीकाकरण बूथ से अपने बच्चों को आपीवी की खुराक दिलवाएं, जो कि उन्हें सभी प्रकार के पोलियो से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।

हैदराबाद और रंगारंडी जिलों को शामिल करने वाला विशेष अभियान पोलियो मुक्त रहने के भारत के सुदृढ़ प्रतिबद्धता एक अतिरिक्त प्रमाण है। भारत में अनियंत्रित पोलियो वायरस का अंतिम मामला दिनांक 13 जनवरी, 2011 को पता लगाया गया था और मार्च 2014 में डब्यूम म एचओ द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था। पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण अनियंत्रित पोलियो वायरस की अनुपस्थिति से संबंधित और देश पोलियो मुक्त हो गया।

भारत पोलियो के लिए अत्यंत संवेदनशील निगरानी प्रणाली को बनाए रखा है। 15 वर्ष आयु के बच्चों में पक्षाघात के अचानक प्रारंभ के सभी मामलों को पोलियों निगरानी नेटवर्क द्वारा चुन लिया जाता है। इनमें से प्रत्येक मामलों में आगे की कार्रवाई की जाती है और डब्यूान एचओ प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में पोलियो वायरस के लिए उनके मल की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त और पोलियो वायरस का पता लगाने के लिए देश भर में फैले 30 से अधिक स्थलों से नियमित अंतराल में गंदे पानी का नमूना लिया जाता है।

जनवरी 2015 से मई 2016 के बीच देश के विभिन्नत भागों से एकत्र किए गए गंदे पानी के कुल 14 नमूनों को जांच करने के बाद वीडीपीवी के लिए पाजिटिव पाया गया। इन सभी मामलों को शीघ्रतापूर्वक और उपयुक्त रुप से पोलियो टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया। गंदे पानी में पाए गए कोई भी वीडीपीवी अभी तक किसी भी बच्चे को प्रभावित नहीं किया।

हैदराबाद में वीडीपीवी के लिए स्वीस्यव प्राधिकरणों की प्रतिक्रिया वायरस के फैलने के किसी जोखिम को कम करने के विश्वी स्वास्यस संगठन के प्रोटोकॉल के अनुसार है। डब्ये फैएचओ, यूनिसेफ और रोटरी पोलियो अभियान को चलाने के लिए स्वास्यस और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहायता कर रहे है।

पोलियो वायरस के निरंतर प्रसारण वाले देशों से पोलियो वायरस को बाहर से लाने और फैलाव के जोखिम को कम करने के लिए भारत ने सख्त उपाय किए है। देश ने इस वर्ष दो राष्ट्र व्यापी पोलियो अभियान का संचालन किया है। पोलियो टीकाकरण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर किया जा रहा है और पोलियो प्रभावित देशों में यात्रा करने वालों के लिए उक्त टीकाकरण अनिवार्य है।

भारत में पोलियो उन्मू लन कार्यक्रम प्रतिवर्ष दो राष्ट्रव्यापी सामूहिक पोलियो टीकाकरण अभियानों और दो से तीन उप – राष्ट्रीय अभियानों के संचालन के माध्यम से पंगु कर देने वाले रोग से बच्चों की रक्षा कर रहा है। नेमी टीकाकरण कवरेज जिसमें व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत शिशुओं को अन्यो टीकों के अतिरिक्त पोलियो के टीके देना शामिल है, में सुधार करने के लिए भारत में सघन प्रयास भी किए जा रहे है।

ईश्वरःप्रकृति का अदृश्य रूप

शिमला। 'प्रकृति' प्राणीयों के लिए ईश्वर प्रदत्त वह उपहार है जिसे वो अपनी पांचो इन्द्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। प्राकृतिक अनूकूलनता के अभाव में ब्रम्हांड के किसी भी कोने अथवा किसी भी ग्रह पर जीव – निर्जीव की कल्पना करना बेमानी है। उदाहारण के तौर पर चर जगत अथवा प्राणी भी प्रकृति का ही अंश है जो जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश नमक पंचतत्वों के संयोग मात्र से निर्मित है। जल अर्थात पानी, थल अर्थात मिट्टी या अन्य खनिज पदार्थ, वायु अर्थात गैसीय पदार्थ, अग्नि अर्थात ताप या ऊर्जा और आकाश अर्थात स्थान या जगह। पांचों पदार्थों का संगम अगर उचित मात्रा में और अनुकूल परिस्थितियों में हो तो उसमें एक अप्रत्याशित चेतना का संचार होकर एक जीव का निर्माण होता है, जो कि प्रकृति के अंश के रूप में एक निश्चित समयावधि के लिए सृष्टि में अपना अस्तित्व रखता है। यहाँ पर एक अनोखा संयोग देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी का 75% भाग जल है, उसी प्रकार से मानव शरीर में भी 65% तक जल का अनुपात पाया गया है जो पृथ्वी और प्राणी के निकायों की समानताओं को इंगित करता है। अनेकानेक वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद भी बिना किसी जीव की मदद से या स्वतंत्र रूप से अभी तक जीव का निर्माण किसी प्रयोगशाला में नहीं किया जा सका है। उसमें चेतना का संचार करना तो असंभव से भी असंभव है। प्रकृति ने जीव के निर्माण एवं उसमे चेतना के संचार का कार्य पूर्णत: अपने वश में रखा है।

प्रकृति का ही दूसरा स्वरुप 'ईश्वर' एक ऐसी शक्ति का नाम है, जो कि सृष्टि अथवा चराचर जगत में घट रही जड़ – चेतन की समस्त दृश्य – अदृश्य घटनाओं को उत्पादित, संचालित एवं नियंत्रित करती है। जिस प्रकार से उचित परिस्थितियों में बहुत सारे अणुओं के संयोग से एक परमाणु का निर्माण होता है, जो पदार्थ के विशेष गुण अपने में निहित रखता है, उसी प्रकार से प्रकृति की बहुत सारी घटनाएं मिलकर या संयोग एक ऐसी अदृश्य वस्तु को जन्म देती हैं, जो अदृश्य होते हुए भी एक शक्ति का रूप में अपना अस्तित्व रखती है। चूंकि प्रकृति में घट रही समस्त घटनाएं अनादि एवं अनन्त हैं इसलिए वह शक्ति भी अनादिकाल से ही थी एवं अनंतकाल तक अपना अस्तित्व रखेगी। प्राचीन भारतीय वैदिक ग्रंथों में उस अदृश्य शकित को समझने के लिए उसे तीन भागों में विभाजित किया गया जिन्हें ब्रम्हा, विष्णु और महेश की उपमा दी गयी। 'ब्रम्हा' उस शक्ति का नाम दिया गया जो जड़ – चेतन की उत्पत्ति करती है। 'विष्णु' उस शक्ति को माना गया जो प्रकृति का संचालन और जड़ – चेतन का पालन – पोषण करती है। 'महेश' उस शक्ति को कहा गया जो उचित समयावधि के पश्चात् जीवों – निर्जीवों का संहार करती है, जो परिवर्तन और निरंतरता के लिए अति आवश्यक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रकृति के बहुत सारे संयोग एक ऐसी अदृश्य शक्ति को जन्म देते हैं, जिसे मनुष्य इस संपूर्ण सृष्टि का जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानकर सदियों से उससे आत्मसात् होने की चेष्टा करता आया है। उसी अ दृश्य शक्ति को 'ईश्वर' कहा जा सकता है। ज्ञानियों ने उसे परमशक्ति, परमात्मा, परवरदिगार आदि नामों से सम्बोधित किया। सम्पूर्ण सृष्टि में जड़ से लेकर चेतन तक के सफर के लिए वाही परमशक्ति उत्तरदायी है। सृष्टि के सभी चेतन पदार्थों में प्राण का संचार करने का जिम्मा भी उसने अपने हाथों मंत लिया है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तप, ध्यान एवं योग के द्वारा सहस्रों वर्षों की अध्यात्मिक खोजों के आधार पर अनुभव किया कि जिस क्षण हम ईश्वर रुपी उस परमशक्ति से आत्मसात् होते हैं, उस अनुभव को शब्दों में बांधना असंभव है। फिर भी किसी ने उसे असीम आनंद का अनुभव बताया, किसी ने सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग बताया, किसी ने दूर स्थित किसी मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि जैसे अनुभव के साथ वर्णित किया तो किसी ने अप्रत्याशित प्रकाश के पुंज जैसी कोई वस्तु बताया। वह अनुभव भौतिक जगत के किसी भी अनुभव से पूर्णत: अभिन्न है। कोई भी ज्ञानी या अनुभवी उस अनुभव को पूर्णतया वर्णित नहीं कर सका है। अगर कर सका है तो शब्दों में नहीं बांध सका है, और अगर शब्दों में बांधा है तो जन साधारण उसे समझाने में असमर्थ रहा है। ईश्वर नामक अदृश्य शक्ति को अंशत: या पूर्णत: आत्मसात् करने वाले योगियों ने बताया कि उस अदृश्य शक्ति को प्राणी अपनी पांचों इन्द्रियों से अनुभव नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति अगर ईश्वर का दृश्य रूप है तो ईश्वर भी प्रकृति का अदृश्य रूप है। दोनों एक ही वस्तु के ही दो पहलू हैं। ईश्वर की आराधना का वैज्ञानिक आधार भी यही कहता है कि उपासना एक अंधानुकरण के रूप में नहीं बल्कि एक परमशक्ति से जुडने के प्रयास के रूप में की जानी चाहिए जो हमें एक अलोकिक जीवनदायिनी उर्जा प्रदान करे। उससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों सफल हों।

डॉ. महेश कुमार वर्मा
प्रबंधक, NMDC लिमिटेड, शिमला

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

भारद्वाज के पत्र से वीरभद्र से लेकर मोदी तक की सरकार सवालों में

शिमला/शैल। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक शिमला के विधायक पूर्व सांसद एवम् पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने केन्द्रिय गृह मन्त्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखकर प्रियंका गांधी बाड्रा के छराबड़ा में बन रहे भवन की निमार्ण अनुमति को तुरन्त प्रभाव से वापिस लेकर इस निर्माण को रोकने का आग्रह किया है। भारद्वाज ने तर्क दिया कि यह निमार्ण राष्ट्रपति आवास स्ट्रीट और कल्यानी हैली पैड के दायरे में आता है। यह दोनों ही स्थान अतिविशिष्ट लोगों के लिये है और इस कारण सह निर्माण उनकी सुरक्षा के लिये खतरा हो सकता है। खतरे के लिये तर्क देते हुए भारद्वाज ने लिखा है कि This reason is ridiculous. There is no guarantee that an SPG protectee cannot indulge in unlawful or terrorist activities. Shri P.V. Narsumha Rao, an SPG protectee was convicted in JMM Bribery case. His son Shri P.V. Prabhakar Rao another SPG Protectee was involved in Rs. 133 Crore Urea Scam. Being an SPG Protectee is not a parmanent status. it is only for one year after a Prime Minister demist office (SPG Act of 2003 (Amended) Shri Robert Vadra,husband of Smt Priyanka Gandhi Vadra is already under cloud for various fraudulent land deals.जहां प्रियंका का घर बन रहा है वहां पर 2002 में धूमल शासन के दौरान नौ सेना अधिकारी देवेन्द्र जीत सिंह ने 16 विस्वे जमीन खरीद कर वहां कॉटेज बनाने की अनुमति मांगी थी। देवेन्द्रजीत का अनुमति आग्रह आने पर प्रदेश के प्रधान सचिव गृह ने 24.08.2002 को पत्र भेजकर कहा कि वह एडीजीपी सी.आई.डी. से विचार विर्मश करके इस पर अपनी राय दें। इसमें राष्ट्रपति सचिवालय से भी राय लेने के लिये कहा गया था। इस पर 12.06.03 को वीरभद्र शासन में डीजीपी ने गृह विभाग को सूचित किया कि सुरक्षा कारणों से ऐसी अनुमति नही दी जा सकती और सरकार की इस राय से 1.7.2003 को देवेन्द्रजीत सिंह को भी सूचित कर दिया गया। इस पर देवेन्द्र जीत ने 17.8.04 को फिर सरकार को प्रतिवेदन भेजा जिसे 12.10.04 को राष्ट्रपति के सचिव को भी भेज दिया गया। इस पर 11.11.04 को राष्ट्रपति

सचिवालय से यह जवाब आया "With reference to your No. Home (A) - E-(3) 42/2003 -II dated 12.10.2004, I am directed to state that the responsibility for of India when the President is at the Retreat /Shimla is that of the State Government and the state Government should give a considered opinion in the matter. However , in terms of the long - term perspective and consequences that may follow in granting such a permission and after taking due consideration some embargo may have to be placed by notifying certain area surrounding the Retreat as ' No Construction Zone , Otherwise , the possibility of other such demand snowballing on the strength of the present precedent cannot be ruled out."

राष्ट्रपति सचिवालय के जवाब के बाद आईजी सी आई डी ने 5.11.04 को प्रधान सचिव गृह को पत्र भेजकर रीट्रीट के खसरा न0 264 से 269 तक निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। इसके बाद 14.3.08 को फिर धूमल शासन में सरकार स पूछा गया कि यहां पर एक मंजिला निमार्ण की अनुमति दी जा सकती है या नही। प्रदेश सरकार ने फिर 4.4.08 को यह पत्र राष्ट्रपति के सचिव को भेज दिया जंहा से 16.5.08 को आये पत्र के मुताबिक निमार्ण की अनुमति नही दी गयी। लेकिन सभी जानते है कि इस भवन का निमार्ण धूमल शासन में ही शुरू हो गया था और अब वीरभद्र शासन में वाह्य निमार्ण पूरा होने के बाद आन्तरिक काम भी लगभग पूरा होने वाला है। यदि इसके डिजायन में दो बार परिवर्तन न किये जाते तो शायद धूमल शासन में ही पूरा हो जाता।

लेकिन अब सुरेश भारद्वाज के पत्र से जो सवाल उभरे हैं उनमें यह सभी मानेगे की जिस तरह से पूर्व प्रधानमन्त्री नरसिंह राव को जे एम एम प्रकरण पर बने अपराधिक मामलें में सजा हुई है और उसके बाद उनके बेटे प्रभाकर राव को 133 करोड के यूरिया स्कैम में सजा हुई है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी अतिविशिष्ट व्यक्ति किसी भी अपराधिक मामलें में संलिप्त हो सकता है और यह संभावना तो हर के बारे में एक बराबर बनी रहेगी चाहे वह पूर्व में रहे शासक हों या आज के शासक हों। भारद्वाज की यह चिन्ता और आंशका सब पर एक बराबर लागू होती है।

इसी संद्धर्भ में दूसरा सवाल उठता है कि जब 5.11.04 को आई जी सी आई डी ने खसरा नम्बर 264 से 269 तक के क्षेत्र को No Construction Zone घोशित करने का आग्रह किया था तो उस पर वीरभद्र और धूमल दोनों ही सरकारों ने कोई कारवाई क्यों नही की? दोनों ही सरकारों ने यहां पर जमीन खरीद की अनुमतियां क्यों दी। बल्कि धूमल शासन में तो पहले देवेन्द्र सिंह और बाद में प्रियंका गांधी को अनुमति दी गयी। वीरभद्र शासन में भी यही हुआ। फिर इस अतिविशिष्ट क्षेत्र में किस तरह की निमार्ण गतिविधियां चल रही है। क्या इस बारे में केन्द्र सरकार को कभी कोई जानकारी ही नही मिल पायी? मोदी सरकार को भी सत्ता में आये दो वर्ष हो गये हैं इसलिये आज सुरेश भारद्वाज के पत्र से वीरभद्र से लेकर मोदी तक की सरकार सवालों के घेरे में आ खडी होती है।

दूरदर्शन केंद्र शिमला में सीबीआई

शिमला/शैल। दस जून को दूरदर्शन केन्द्र शिमला में सुबह ही सीबीआई की टीम का दस्तक देना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही सीबीआई टीम के दूरदर्शन केन्द्र में पहुचने की खबर फैली इसी के साथ पूरे मीडिया का ध्यान केन्द्रित हो गया। ऐसा होना स्वाभाविक था। इसके कारण जो समाचार प्रकाशित हुए उनमें इस दस्तक देने को रेड का नाम मिल गया। रेड के कारणों तक की चर्चा हो गयी। इस चर्चा से दूरदर्शन केन्द्र का प्रबन्धन कुछ विचलित होने के कारण एक स्पष्टीकरण जारी हुआ है। इस स्पष्टीकरण में सीबीआई की दस्तक को औचक निरीक्षण कहा गया है। यह भी हो गया कि सीबीआई की टीम के साथ प्रसार भारती के अधिकारी भी शामिल थे।

स्पष्टीकरण में इस केन्द्र पर लगे रहे अनियमितताओं घूसखोरी और झूठे बिल बनाये जाने के आरोपों को निराधार करार दिया गया है। लेकिन यह भी साथ ही कहा गया है कि 'यह औचक निरीक्षण पंजाब के दो डिस्ट्रीब्यूटर्ज की आपसी रंजिश से पैदा हुई शिकायतों पर आधारित थी और सीबीआई टीम इन्ही कंपनियों से संबधित दस्तावजों की जांच के लिये आयी थी और उन्ही से संबधित दस्तावेजो को जांच के लिये लेकर गयी है।

इस स्पष्टीकरण के मुताबिक दो डिस्ट्रीब्यूटरों को लेकर कोई शिकायत थी। स्वाभाविक है कि जब संबधित विभाग में इनसे जुड़ी शिकायतों पर कोई करवाई नही की गयी होगी तब इसकी शिकायत सीबीआई के पास गयी होगी।

सीबीआई किसी भी विभाग के प्रशासनिक निरीक्षण के लिये नही जाती है क्योंकि हर विभाग के प्रशासनिक निरीक्षण की जिम्मेदारी उसके अधिकारियों की रहती है। सीबीआई तो तभी हरकत में आती है जब विभाग को लेकर कोई वित्तिय अनियमितताओं के आरोप लगे। आरोप तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाते है कि कितने प्रमाणिक थे और प्रमाणित हो पाये है। इस संद्धर्भ में भी अभी तक कोई जांच रिपोर्ट तो सामने आयी नही है। यह भी स्वाभाविक है कि जिसके खिलाफ आरोप लगते है वह कभी भी जांच परिणाम आने से पहले अपने को दोषी नही मानता है इस संबध में आया स्पष्टीकरण अपरोक्ष में आरोपों की स्वीकारोक्ति ही बन जाता है।

इसलिये दूरदर्शन कर्मियो की ओर से आया स्पष्टीकरण आज हर कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है।

चिटों पर भर्ती मामलें में नामजद अधिकारियों के खिलाफ मामले वापिस लेने की तैयारी

शिमला/शैल। वर्ष 1993 से 1998 के बीच प्रदेश में घटे बहु चर्चित चिटों पर भर्ती मामलें में विजिलैन्स ने जो चार चालान अदालत मे पहुचाये थे उनमें नामजद दोषी चार आई ए एस अधिकारियों के खिलाफ भी अब वीरभद्र सरकार मामले वापिस लेने तैयारी में है। यह अधिकारी है डा. एआरबासू, एस के जस्टा वी के बंसल और विनोद लाल। इनके मामले इस आधार पर वापिस लिये जा रहे है क्योंकि इनसे पहले ऐसे ही मामलें में अश्वनि कुमार के विरूद्ध चल रहा मामला वापिस ले लिया गया है। इस प्रकरण में विजिलैन्स ने पहले ही 53 विभागों के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दायर कर दी थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसी कारण से अब इन चारों के मामले भी वापिस लिये जा रहें हैं।

इस समय पूर्व डीजीपी मिन्हास के खिलाफ दो मामले अदालत में ट्रायल में चल रहे हैं। इनमें मिन्हास के नववहार स्थित मकान के मामलें में नगर निगम की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। दूसरा मामला मिन्हास के बेटे के नर्सिगं कॉलिज को लेकर है और इनमें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से शिकायत है। मिन्हास के अतिरिक्त पूर्व उद्योग मन्त्री किशन कपूर के खिलाफ पिछली जिला परिषद के चुनावों के दौरान जो मामला बना था उसकी जांच पूरी होने के बाद उसका चालान भी अदालत में पहुंच चुका है। इन सारे मामलों की जांच डी डब्लू नेगी के पास थी।

स्मरणीय है कि चिटों पर भर्ती मामला धूमल शासन में शुरू हुआ था। इन भर्तीयों को लेकर हर्ष गुप्ता और अवय शुक्ला के अधीन दो जांच कमेटीयां बनाई गयी थी। इनकी जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई थी तब धूमल सरकार ने अपने स्टैण्ड को बदलते हुए इनकी कारवाई करने से मना कर दिया था। जबकि 1993 से 98 के बीच सरकारी विभागों में 16842 और निगमों/बार्डो में 6147 नौकरियां जांच के दायरे में लायी गयी थी। इनमें सरकारी विभागों में 1414 और निगमों/बार्डो में 239 नियुक्तियां शुद्ध राजनीतिक आधार पर हुई पायी गयी थी। लेकिन जब इस मामले में धूमल सरकार ने कारवाई नही की तब एस एम कटवाल ने एक याचिका डालकर मामले को प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा दिया। उच्च न्यायालय के सामने जब जांच कमेटीयों की रिपोर्ट आई तब उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए अदालत में स्पष्ट कहा कि It is not in disput that may illegal appointment have take place इस मामले में चिटे देने वाले और उन पर नौकरी पाने वाले दोनों ही पूरी तरह चिन्हित थे लेकिन विजिलैन्स ने उच्च न्यायालय के आदेश पर 5.1.2006 को एफआईआर दर्ज करके सरकारी विभागों की 81 फाईलें और निगमों/बोर्डो की 32 फाईलें अपने कब्जे में ले ली। लेकिन सारा रिकार्ड कब्जे में नहीं ले पायी। शेष रिकार्ड के लिये 65 विभागों और 21 निगमों/बोर्डो को पत्र लिखे गये। लेकिन इस सबके बावजूद यह पहला मामला है जिसमें उच्च न्यायालय की स्पश्ट और गंभीर टिप्पणीयों के बावजूद अन्ततः परिणाम शून्य ही रहा है।